छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 627/2007</u>

1. **श्री ज्योतिभूषण गौड़** - *अपीलार्थी*
सचिव, बिलासपुर जिला समाज कल्याण समिति,
तिलक नगर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय संयुक्त संचालक,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
जिला- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 11 जनवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री ज्योतिभूषण गौड़ ने दिनांक 03.04.2007 को सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन जन सूचना आधिकारी, कार्यालय संयुक्त संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया था । जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 01.05.2007 के पत्र से यह उत्तर दिया कि चाही गई जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध नही है, अत: देना संभव नहीं है, इससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा प्रथम अपील दिनांक 03.05.2007 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर दिनांक 06.06.2007 को अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया, उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.06.2007 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की ।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को का श्रवण किया गया । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 24.10.2007 को प्रस्तुत किया गया और उत्तर पर उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में प्रति अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह काफी पुराना रिकार्ड है और एक विवादग्रस्त संस्था के बारे में यह समस्त रिकार्ड मूलत: संचालक, पंचायत, मध्यप्रदेश भोपाल को भेजा गया था और उसकी कोई प्रति कार्यालय में नही रखी गई है । इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा यह बताया गया कि प्रस्ताव चार प्रतियों में तैयार किये जाते थे और उनकी एक प्रति जिला कार्यालय एवं एक प्रति संभागीय

कार्यालय में रखी जाती थी तथा प्रति अपीलार्थी द्वारा उनको नष्ट करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है, भले ही नियम में उनकी नष्ट करने की अवधि लिखी गई हो । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जब संभागीय कार्यालय बंद होकर जिला कार्यालय को नस्तियॉं हस्तांतरित की गई है तो इसकी पूरी संभावना है कि यह नस्ती किसी बस्ते में आलमारी में बंद होगी, क्योंकि विनिष्टीकरण के संबंध में जो कागज प्रस्तुत किये गये उनमें भी विनिष्टीकरण का दिनांक अथवा पूर्ण विवरण नही लिखा है । अतः प्रकरण में संयुक्त संचालक, पंचायत को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अब जिन कार्यालयों में भी यह रिकार्ड संभव हो उसे अच्छी तरह ढूंढवाये और इसकी जावक पंजी अथवा कोई कास प्रविष्टियॉं हो, इसकी भली-भांति खोज करके इस रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियॉं अपीलार्थी को एक माह के अन्दर निःशुल्क प्रदान करावे । उत्तर में वर्तमान अनुदान के नये प्रकरण पर कार्यवाही कराने का जो लिखा गया है, वह संबद्ध प्रतीत नही होता, फिर भी यदि उससे समस्या का निराकरण होता हो तो उसे भी शीघ्र निराकरण किया जावे ।

3/ प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होना अथवा संस्था के संबंध में विवाद होना जानकारी नहीं देने के लिए कोई आधार नही है और यदि रिकार्ड उपलब्ध हो तो उसकी जानकारी देना चाहिए । प्रकरण में किसी प्रकार की दुर्भावना जन सूचना अधिकारी की नही है तथा तत्कालीन संयुक्त संचालक सेवानिवृत्त भी हो गये हैं, अतः शास्ति की कार्यवाही आवश्यक नही है तथा जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु फिर भी जन सूचना अधिकारी द्वारा बिना पूरी तरह से रिकार्ड देखे और खोजबीन किये जिस प्रकार का उत्तर आवेदक को दिया है, उसके कारण उन्हें भविष्य हेतु सचेत किया जाता है, साथ ही विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को राशि 300/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

4/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त